न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 15/20 वर्ष 2020

GCMS No- 2020/000068

बउनवानीः–1 जनकराज पुत्र गोविन्दा जाति मीना निवासी डेहकवा,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. इन्द्रराज पुत्र गोविन्दा जाति मीना निवासी डेहकवा,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3 फूलचन्द पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी डेहकवा,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कियान्वयन, सवाईमाधोपुर, ए–45–46 तिरपति बिहार ब्लॉक ई छत्रपुरा बूंदी, हाल सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना अन्तर्गत धारा 64 राईट टू फेयर कम्पेशेषन एण्ड ट्रांसपेरेन्सी इन लेण्ड एक्व्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड डी सेटलमेंट एक्ट,2013 विरूद्व नोटिस कमांक एनएच.148एन 2019/181 दिनांक 16.9.2019 ख0न0 2075 रकबा 0.0631 वाके ग्राम डेहकवा (अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर) भूमि अवाप्ति अधिकारी जिला सवाईमाधोपुर),

उपस्थितः–1. श्री उमाशंकर शर्मा — वकील प्रार्थी
2. श्री दीपक शर्मा — वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– **दिनांकः– 14.07.2021**

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 64 राईट टू फेयर कम्पेशेषन एण्ड ट्रांसपेरेन्सी इन लेण्ड एक्व्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड डी सेटलमेंट एक्ट,2013 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रार्थी की भूमि एन.एच.148 के निर्माण हेतु अवाप्त किये जाने बाबत जारी नोटिस कमांक एनएच.148एन 2019/181 दिनांक 16.9.2019 विधि विरूद्व व वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने के कारण उक्त नोटिस को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत पत्र होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि विक्रय पत्र कल्पना बनाम प्रेमदेवी मे वर्णित बाजार दर के अनुसार उक्त आराजी ख0न0 2075 रकबा 0.0631 है0 भूमि की कीमत 67000/– रू बनता है। ख0न0 2075 रकबा 0.0631है0 भूमि पर स्थापित 20 अमरूद्व के वृक्षो के बजाय 15 वृक्षो का मुआवजा दिया गया है जबकि 20 अमरूद्व के वृक्षो का मुआवजा 5.60 लाख रूपये बनता है। उक्त संबंध में प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 7.7.2020 को श्रीमान सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर के सक्षम आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी किन्तु प्रार्थीगण की आपत्ति का निस्तारण नही किया गया ओर ना ही कोई कार्यवाही की गयी है। इस प्रकार प्रार्थीगण को भूमि की कीमत 4.2 लाख तथा अमरूद के वृक्षो का मुआवजा राशि 5.60 लाख रूपये का अवार्ड पारित करवाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:41:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिलें मे ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये अवाप्ति की कार्यवाही भूमि अवाप्ति हेतु अवाप्ति अधिकारी नियुक्त किया जाता है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसके परिप्रेक्ष्य मे जो आपत्तियॉ की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाले भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमे अवाप्त भूमि की ***किस्म चाही–3*** दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाशन पर उक्त अनुसूचित मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त की गयी भूमि पर स्थित भवन, वृक्षो व फसल आदि की धनराशि (Section 29 RFCTLARR act-2013) भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 की धरा–30 की उपधारा–1 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियो के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिए सुसंगत क्षेत्र मे किसी सक्षम इंजीनियर या ऐसे किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवा का उपयोग परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्र संख्या भाशराप्रा /पकाई/ सवाईमाधोपुर/83 दिनांक 30.1.2019 के क्रम में अर्जित भूमि पर स्थित भवन इत्यादि परिसम्पत्ति का मूल्यांकन/सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर रिपोर्ट अधीक्षण अभियंता सा0नि0वि0 सवाईमाधोपुर के पत्रांक 584 दिनांक 29.5.2019 द्वारा तथा अर्जित भूमि पर स्थित निजी वृक्षो का मूल्यांकन वन विभाग से करवाकर रिपोर्ट सहायक निदेशक उद्यान सवाईमाधोपुर के पत्र संख्या एडीएच/एसडब्ल्यू/2019/323 दिनांक 22.5.2019 द्वारा सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध करवायी जाने पर मुआवजा हेतु अवार्ड निधारण किया जाता है।

यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी को भूमि ख0न0 2075 रकबा 0.0631 है0 किस्म चाही–3 के मुआवजा की गणना उप पंजीयक सवाईमाधोपुर से प्राप्त निर्धारित डी.एल.सी के आधार पर 448057/–रू प्रति है0 की गयी है तथा उक्त भूमि पर स्थापित 15 अमरूद के वृक्षो का मुआवजा सही दिया गया है। उक्त भूमि पर उक्त वृक्षो के अलावा अन्य कोई वृक्ष नही थे। यह भी तर्क दिया अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधान [illegible] अनुसार 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी उसमे अवाप्त की गयी आराजी [illegible] उल्लेख किया जाता है अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त [illegible] पत्र खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:41:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
सवाई माधोपुर

वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रथम अनुतोष अवाप्त भूमि का मुआवजा विक्रय पत्र कल्याण बनाम प्रेम देवी में अंकित भूमि ख0न0 3796 की डी.एल.सी. दर के आधार पर तय कराना चाहते है। तथा द्वितीय अनुतोष 15 अमरूद के वृक्षो के स्थान पर 20 अमरूद के वृक्षों का मुआवजा का अवार्ड चाहते है। किन्तु अपने कथन के समर्थन में युक्ति संगत दस्तावेज पेश नही किये जिसके आधार पर यह माना जा सके कि ख0न0 3796 एवं 1075 की भूमि समान प्रकृति की हो जिसके कारण दोनो ख0न0 की डी.एल.सी दर समान मानी जा सके। इसके अतिरिक्त अमरूदो के वृक्षों की संख्या 20 होने के संबंध में भी कोई युक्तिसंगत दस्तावेज वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर उसके कथन की पुष्टि हो सके। अतः दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वकील प्रार्थी के कथन से न्यायालय सहमत नही है परन्तु वकील अप्रार्थी द्वारा किये गये कथन से न्यायालय पूर्णतया सहमत है। इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र साक्ष्य दस्तावेजात के अभाव में निराधार प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.7.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:41:32 IST
Reason: SelfAttested